भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2756

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 मार्च, 2017/26 फाल्गुन, 1938 (शक) को दिया गया)

फ़र्जी वित्त कंपनियां

2756. श्री राघव लखनपाल

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चलाई जा रही फ़र्जी कंपनियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) इसके कारण उपभोक्ताओं को कितनी हानि उठानी पड़ी है;
(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): दो मामले ध्यान में आए हैं जो निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	कंपनियों का नाम	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	भाग्य लक्ष्मी फाइनेंशियल प्रा.लि.	दिल्ली	कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रीकृत नहीं।
2.	नटराज फाइनेंस	दिल्ली	कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रीकृत नहीं।

(ग) और (घ): 1. ऊपर क्रम संख्या 1 पर दिए गए मामले के संबंध में, यह मामला तत्कालीन इलेक्ट्रोनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) से संबंधित होने के कारण उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया था।

2. ऊपर क्रम संख्या 2 के मामले के संबंध में, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार को एक एफआईआर दायर करने के निदेश दिए गए हैं।

*****